समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निगरानी क्रमांक /2017 R 62-I-17

बैजनाथ तनय कमोदे कुर्मी निवासी ग्राम नंदगायवटन
तहसील विजावर जिला छतरपुर म.प्र.

.आवेदक

221

श्री .... द्वारा आज दि. 4-1-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-1-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

श्रीमती भवानीबाई बेबा हरजू कुर्मी निवासी ग्राम
पुछी तहसील व जिला छतरपुर म.प्र.

........अनावेदक

निगरानी मध्य प्रदेश भू — राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी विजावर जिला छतरपुर के राजस्व प्रकरण क 121/अपील /2013--14 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2016 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय,

सेवा मे आवेदक की ओर से निवेन निम्न प्रकार है :—

प्रकरण का सक्षिप्त विवरण—

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा काफी लम्बे समय के वाद नायव तहसीलदार मंडल देवरा तहसील विजाबर के ग्राम सटई के नामांतरण पंजी कमाक 252 मे पारित आदेश दिनांक 26.4.1974 से परिवेदित होकर अपील म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44(1) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी विजाबर के समक्ष अपील क 121/13--14 प्रस्तुत की गई जिस अपील को अवैध व मनमाने पूर्ण तरीके से धारा 5 म्यादि अधिनियम को क्षमा किये वगैर उस पर आदेश पारित किये वगैर ही ही अवैध तरीके से नियम व कानून के विपरीत जाकर आवेदक के पक्षमें पारित नामांतरण पंजी कमाक 252 मे पारित आदेश दिनांक 26.4.1974 को अनुविभागीय अधिकारी विजावर द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 20.12.2016 से निरस्त कर दिया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-62-एक/2017 जिला छतरपुर बैजनाथ विरूद्ध भवानीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई अभिभाषक श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण क्रमांक 121/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-01-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

10.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य